



प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-23.09.2026

थाना-अहरौला, जनपद-आजमगढ़

• ग्राम शम्भूपुर में पत्नी सहित 03 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या करने के बाद आरोपी अरविंद ने अपने 03 बच्चों को कमरे में बनाया बंधक, पुलिस द्वारा आरोपी को सरेंडर कराने और बच्चों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा था कि अचानक कमरे के अंदर गोली की आवाज सुनाई देने पर बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए त्वरित तरीके से कमरे में घुसे SSP सहित टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी

• बच्चों की सुरक्षा एवं आत्मरक्षार्थ पुलिस की कंट्रोल्ड और संयमित जवाबी फायरिंग में आरोपी अरविंद घायल, बाद में अस्पताल में आरोपी की मृत्यु; पुलिस टीम ने अपनी जान पर खेलकर 02 बच्चों को सकुशल रेस्क्यू किया।

• अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, श्री नवीन अरोड़ा एवं उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा घटनास्थल पर कई घंटे उपस्थित रहकर पुलिस टीम को लगातार मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन प्रदान किया गया, जिसके फलस्वरूप पुलिस टीम ने अदम्य साहस एवं तत्परता से 02 बच्चों को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाला।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.09.2026 को थाना अहरौला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शम्भूपुर में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी एवं 02 अन्य व्यक्तियों को गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर जांच से ज्ञात हुआ कि आरोपी अरविंद कुमार पुत्र त्रिपुरारी सिंह, निवासी ग्राम शम्भूपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपनी पत्नी बबिता सिंह तथा अनुष्ठान में शामिल अखिलेश मिश्रा एवं महेन्द्र पाठक को गोली मार दी गई, जिससे तीनों की मौके पर मृत्यु हो गई।

परिजनों द्वारा बताया गया कि आरोपी अरविंद कुमार की मानसिक स्थिति पूर्व से ठीक नहीं रहती थी तथा उसकी मानसिक स्थिति खराब होने का कारण भूत-प्रेत की बाधा बताया जा रहा था। इसी कारण उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हेतु तथा भूत-प्रेत की बाधा को दूर करने के उद्देश्य से घर पर 05 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान कराया जा रहा था, जिसका दिनांक 22.09.2026 को चौथा दिन था। परिजनों के अनुसार इसी दौरान आरोपी द्वारा उग्र होकर घटना को अंजाम दिया गया।

➡️ □ घटना के बाद आरोपी अरविंद कुमार अपने 03 बच्चों एवं लाइसेंसी शस्त्र के साथ घर के एक कमरे में स्वयं को बंद कर लिया। पुलिस द्वारा आरोपी को आत्मसमर्पण करने तथा बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए गए। परिजनों एवं रिश्तेदारों द्वारा भी आरोपी को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह बार-बार बच्चों को गोली मारने की धमकी देता रहा।

➡️ □ आरोपी को करीब 07 घंटे तक समझाने-बुझाने के प्रयास के दौरान कमरे के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी, इस पर तत्काल बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत अन्य कोई विकल्प न होने पर एसएसपी आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार, एसओजी प्रभारी संजय सिंह एवं आरक्षी प्रदीप द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर तत्काल आरोपी अरविंद के घर के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया, जहां आरोपी द्वारा अपने पुत्र शौर्य सिंह, उम्र 09 वर्ष, को गोली मार दी गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया। शौर्य सिंह को तत्काल लाइफ लाइन अस्पताल, आजमगढ़ भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई।

➡️ □ इसी दौरान आरोपी अरविंद द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ एवं बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी अरविंद कुमार घायल हो गया। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।

➡️ □ पुलिस टीम द्वारा तत्परता एवं साहस का परिचय देते हुए आरोपी की 10 वर्षीय पुत्री परी एवं 06 माह की पुत्री को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाला गया। बड़ी पुत्री की कोहनी के पास मामूली खरोंच आई है। दोनों बच्चे सुरक्षित हैं।

➡️ □ अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, श्री नवीन अरोड़ा एवं उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, श्री सुनील कुमार सिंह

द्वारा घटनास्थल पर कई घंटे तक उपस्थित रहकर पुलिस टीम को लगातार मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन प्रदान किया गया, जिसके फलस्वरूप पुलिस टीम द्वारा अदम्य साहस एवं तत्परता का परिचय देते हुए बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई तथा जान की बाजी लगाकर 02 बच्चों को सकुशल रेस्क्यू किया गया।

पुलिस मुठभेड़ में मृत आरोपी-

अरविंद कुमार पुत्र त्रिपुरारी सिंह, निवासी ग्राम शम्भूपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

➡️☐ मृतकों के शव पोस्टमार्टम हेतु भेजे गए हैं। घटनास्थल से साक्ष्य संकलन हेतु फॉरेन्सिक टीम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। मौके पर कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

